वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(161)एफडी/टैक्स/09-1 दिनांक 02.06.2014 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(18)एफ.डी./टैक्स/07-45, दिनांक 18.08.2008 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, भारतीय रेल को हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जहां तक कि उसके संबंध में कर की दर 18 प्रतिशत से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है, अर्थात्:-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक. एफ.12(18)एफडी/टैक्स/07-45 दिनांक 18.08.2008 को दिनांक 18.08.2008 से इसके द्वारा अतिष्ठित करती है और भारतीय रेल को हाई स्पीड डीजल के विक्रय या उसके द्वारा क्रय को, उस सीमा तक जिस तक उसके संबंध में कर की दर-

(i) 02.06.2014 से 28.08.2015 की कालावधि के लिए 14 प्रतिशत; और
(ii) दिनांक 29.08.2015 से 18 प्रतिशत

से अधिक हो, इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर कर से छूट देती है अर्थात्:-" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-89]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, makes the following amendment in this department's notification number F.12(161)FD/Tax/09-1 dated 02.06.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression, "and in supersession of this Department's Notification No. F.12(18)FD/Tax/07-45 dated 18.08.2008, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from tax the sale to or purchase by Indian Railways of High Speed Diesel to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 18% on the following conditions; namely:-", the expression, "the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, supersedes this department's notification number F.12 (18) FD/Tax/07-45 dated 18.08.2008, with effect from 18.08.2008 and exempts from tax the sale to or purchase by Indian Railways of High Speed Diesel to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds,-

(i) 14% for the period 02.06.2014 to 28.08.2015; and

(ii) 18% with effect from 29.08.2015

on the following conditions, namely:-" shall be substituted.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-89]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government